6. अहमदाबाद
7. बेंगलूर सिटी
8. पटना जं०
9. चर्च गेट
10. दिल्ली जं०

(ख) इन स्टेशनों पर कुल 565.48 करोड़ रु० के टिकट बेचे गए।

(ग) और (घ) अनुचित टिकटों की बिक्री रोकने के लिए सतर्कता, वाणिज्य तथा सुरक्षा संगठनों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधायें

612. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से रेलवे स्टेशन हैं जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से रेलवे स्टेशन हैं जहां आगामी तीन वर्षों के भीतर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में सभी स्टेशनों पर कब तक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों पर संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा के आधार पर, वहां सुविधाओं की व्यवस्था निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है। स्टेशनों का और अधिक आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। रेलों का यह प्रयास रहता है कि भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर, जिनमें उत्तर प्रदेश स्थित स्टेशन भी शामिल हैं, मानदंडों के अनुसार सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। यह कार्य विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

रेलवे में हिन्दी की पुस्तकें

613. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में रेलवे में हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कितने रुपये खर्च किये गये;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई चयन समिति गठित की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो विगत वर्ष में उसकी कितनी बैठकें हुई और उसने कितनी पुस्तकों का चयन किया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलों पर हिंदी पुस्तकालयों के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :–

1988–89 – 21,92,036.00 रुपये

1989–90 – 22,23,002.00 रुपये

1990–91 – 6,82,063.00 रुपये

(ख) रेलों के हिंदी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों के चयन हेतु बोर्ड स्तर पर पुस्तक चयन उपसमितियों का गठन वर्ष 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान किया गया था। जहां तक 1990–91 का संबंध है, बोर्ड स्तर पर किसी उपसमिति का गठन नहीं किया गया था। अतः क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन कारखानों के महाप्रबन्धकों से कहा गया था कि वे पुस्तक चयन समितियों का गठन अपने स्तर पर करें, बहरहाल, अब विनिश्चय किया गया है कि वर्ष 1991–92 से हिंदी पुस्तकों की खरीद गृह मंत्रालय

द्वारा जारी की गई सूचियों में से ही की जाए।

(ग) क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर गठित की गई समितियों की पिछले वर्ष के दौरान एक-एक बैठक हुई। चुनी गई/खरीदी गई पुस्तकों की संख्या के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Construction of new metre gauge railway line in the NE States

614. SHRIMATI BIJOY CHAKRAVARTY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a constructon of new metre-gauge railway lines from Assam to neighbouring States was started in 1989—91;

(b) if so, what is its length of railway lines completed so far; and

(c) what is the total expenditure involved in the construction of new railway lines from Assam to neighbouring States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sir. Work on these lines was started during the period November, 1980 and September, 1982.

(b) 180.42 kms. including Amguri-Tuli Line expected to be completed in 1991-92.

(c) Rs. 157 crores.

Over-crowding in Delhi-Guwahati-Delhi Trains

615. SHRIMATI BIJOY CHAKRAVARTY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the reserved compartments, including First Class and AC coaches, in the Delhi-Guwahati and Guwahati-Delhi trains always remain over-crowded due to the entry of short distance passengers even in the night thus causing security risk to bonafide passengers besides causing inconvenience in their journey;

(b) if so, what steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Some cases of unauthorised entry in reserved coaches have come to notice.

(b) The following steps have been| are taken to prevent entry of unauthorised passengers in reserved coaches:—

(i) Surprise checks and drives are conducted from time to time with the help of Government Railway Police and unauthorised passengers found travelling in reserved coaches are detrained and fined udner the provision of the Railways Act. Wherever the problem of unauthorised entry of passengers in reserved coaches is acute, coordination is established with GRP to enlist their assistance to prevent the same.

(ii) Punishments are imposed on Conductors|Coach Attendants|Travelling Ticket Examiners found responsible for dereliction of duty.

(iii) Legal provision in the new Railway Act, 1989 have been made more stringent inasmuch as a fine upto Rs. 500 has been prescribed as against Rs. 20 in the previous Act.

Study on utilisation of manpower by Railway Board

616. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway Board has conducted a study on the optimum utilisation of manpower; and